फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सरकार जरिये एस.एच.ओ. कोटपूतली बनाम प्रवीण भाई

केस संख्या /2023 (गोवंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
~~22-03-2023~~ 14.6.23	पत्रावली पेश हुई। विभागीय पैरोकार उपस्थित है। अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित है। थानाधिकारी पुलिस थाना कोटपूतली की एफआईआर संख्या 606/2020 व सिलसिले राजस्थान गो वशीय (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 की धारा 6 (1) के अनुसार दिनांक 29.10.2020 को सूचना मिलने पर करीब 8.20. एएम पर दीवान होटल के पास मिनी कन्टेनर संख्या जीजे 07 वाईजेड 6181 में गौ वंश भरा मिला । चालक परिचालक नहीं मिले । कन्टेनर को खोल कर चैक करने पर कुल 20 गाय, सांड व बछियों के पैर रस्सियों से बांध कर ठूस ठूस कर कन्टेनर में भर रखा था। जिनको नीचे उतार कर डाक्टरों की टीम द्वारा चैक करने पर 8 गो वंश मृत अवस्था में मिले तथा शेष 12 गो वंश घायल अवस्था में मिले । घायल गौ वंश को जब्त कर जयसिंह गौ शाला कोटपूतली में भिजवाया गया तथा कन्टैनर जब्त कर सुरक्षार्थ खडा किया । अप्रार्थी रविकुमार नरेन्द्र भाई के अधिवक्ता का कथन है कि प्रकरण में जब्त वाहन का एक मात्र स्वामी होने है तथा जब्त कन्टेनर अप्रार्थी के परिवार की आय का मुख्य स्त्रोत है। कन्टेनर खुले में खडा है जिससे खराब होने का अंदेशा है। अतः जब्त कन्टेनर को जमानत सुपुर्दगी में दिये जाने का आदेश फरमावे। विभागीय पैरोकार ने कथन किया कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 धारा 6 (क) मे अभिग्रहित वाहन एवं धारा 7 में अभिग्रहित गोवंशीय पशु की अभिरक्षा और निपटारा किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को है। गोवंश को थानाधिकारी पुलिस थाना कोटपूतली द्वारा पूर्व में ही प्रबन्धक जयशसिंह गौशाला कोटपूतली की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा कन्टेनर में गो वंश को बिना किसी चिकित्सक रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञप्ति के क्षमता से अधिक क्रूरता के साथ भर कर ले जाते पाया गया है। अतः अधिनियम की धारा 6 (क) के तहत वाहन एवं धारा 7 के तहत गोवंश को जब्त सरकार किये जाने के आदेश फरमावें। उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया।	

फर्द आहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

सरकार जरिये एस.एच.ओ. कोटपूतली बनाम प्रवीण भाई

केस संख्या /2023 (गोवंशीय पशु अधिनियम 1995)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप
14-06-2023	अपाधीगण द्वारा बिना चिकित्सक रिपोर्ट व बिना सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के कन्टेनर में ठूंस ठूंस कर कुल 20 गो वंश को ले जाते पाया गया है। जिसमें 8 गौ वंश मृतक अवस्था में व 12 गौवंश घायल अवस्था में मिले है। वाहन की इस कृत्य में संलिप्तता नहीं है, यह साबित करने में अप्रार्थी नाकामयाब रहा। गाड़ी मालिक अबेटर श्रेणी में आता है। अधिनियम की धारा 6 (2) के परन्तुक में साधन के स्वामी को अधिहरण के बदले प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनाधिक के जुर्माने का संदाय करने का विकल्प दिया जाने का प्रावधान है। अतः 50,000/-अक्षरे पचास हजार रूपये जुर्माना राशि " पशु क्रूरता निवारण समिति जयपुर " बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा एम. आई. रोड जयपुर के खाता संख्या 014210008024 में जमा कराता है, तो यदि किसी अन्य प्रकरण में उक्त कन्टेनर वांछित नही हो तो कन्टेनर को छोड़ दिया जाये और यदि जुर्माना राशि एक माह में जमा नहीं कराता है, तो कन्टेनर को जब्त कर लिया जावे। साथ ही वाहन मालिक शपथ पत्र इस आशय का पेश करें कि कार्यवाही मुकदमा के दौरान वह उक्त वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा और ना ही रंग रोगन करेगा। जब भी न्यायालय वाहन को तलब करेगा, वाहन को प्रस्तुत कर दिया जावेगा। जब्त गौ वंश को पूर्व में ही पुलिस थाना कोटपूतली द्वारा प्रबन्धक जयसिंह गौशाला कोटपूतली की सुपुर्दगी में दे दिया गया है। पत्रावली दिनांक 13.07..2023 को पेश हो। जिला कलक्टर जयपुर
19.06.2023	पत्रावली पेश हुई। विभागीय पैरोकार व अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। अप्रार्थी ने हस्ब आदेश दिनांक 14.06.2023 की पालना में शपथ पत्र व जुर्माना राशि 50,000/- अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र राजकोष में जमा करा कर रसीद प्रस्तुत कर दी है। अतः मोचन आदेश जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर जयपुर